फा. सं. जीएसटी/आईएनवी/सीजर/2019-20
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
(जीएसटी-अन्वेषण प्रकोष्ठ)

10वां माला, टावर-2,
जीवन भारती बिल्डिंग,
कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001.
दिनांक 09 दिसंबर, 2019

<u>निर्देश संख्या 04/2019 [जीएसटी – अन्वेषण]</u>

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स के पान फ्रेग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड में दायर सिविल अपील संख्या 8942/2019 & 8944/2019 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध मे।

कृपया उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स के पान फ्रेग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड में दायर सिविल अपील संख्या 8942/2019 & 8944/2019 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लें।

2. यह अपील उत्तर प्रदेश राज्य & अन्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य को, निर्धारण प्राधिकारी की संतुष्टि पर तथा नकद या बैंक गारंटी के अलावा सुरक्षा राशि जमा करने या वैकल्पिक रूप से, कर और जुर्माने के मूल्य के बराबर क्षतिपूर्ति बॉन्ड जमा करने पर, माल को रिहा करने का आदेश दिया था।

3. उपर्युक्त आदेश के द्वारा; सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि *"उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत हैं, उन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रभावी नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, प्राधिकारी संबंधित निर्धारिती के दावों को संबंधित नियमों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 67 में व्यक्त शर्तों के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही करेंगे। इस आदेश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना करते हुए, यदि ऐसा आदेश वैधानिक अनुपालन से विचलित होता है, प्रत्येक निर्धारिती को कथित प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसार औपचारिकता को पूरा करने के लिए बुलाएगा।"*

4. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया: *"हम दोहराते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश जो उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है, इस न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा हलफनामे में संदर्भित सभी मामलों के संबंध में प्रभावी करने की आवश्यकता नहीं है तथा सभी संबंधितों द्वारा नए मामले जो इस अपील विषय के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए हैं या दायर किए जाने की संभावना है, इस आदेश के अनुसार अपास्त/संशोधित समझे जायेंगे।"*

5. वस्तुतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि इन मामलों में सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक निर्धारिती को धारा 67 (निरीक्षण, तलाशी और जब्ती की शक्ति) नियम 140 के साथ पठित (जब्त माल को रिहा करने के लिए बॉन्ड और प्रतिभूति) की आवश्यकताओं के अनुसार औपचारिकता को कड़ाई से पूरा करने के लिए कहेगा। इसलिए, ऐसे सभी मामलों को संदर्भित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार निपटाया जा सकता है, और यदि ऐसा 'समान/समरूप मामला' किसी उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, या भविष्य की तारीख पर विचार के लिए लिया जाता है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भित निर्णय को संज्ञान में लाया जा सकता है।

6. यह निर्देश सदस्य (अन्वेषण), सीबीआईसी, नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह/-
(नीरज प्रसाद)
आयुक्त (जीएसटी-अन्वेषण प्रकोष्ठ), सीबीआईसी

सेवा में ,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त (सभी सीजीएसटी क्षेत्र)